न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 73/2025
ऑनलाईन नंबर 2025/146

निर्णय दिनांक: 17/02/2026

बनेसिंह पुत्र सैताना जाति राईका निवासी बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

–प्रार्थी–

बनाम

1. चन्दाराम 2. मुखराम 3. रतनाराम 4. शिवलाल पुत्रगण गणेशसिंह 5. विमला पत्नी मोतीराम जातियान राईका निवासीगण बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक प्रार्थिनी।
2. श्री राजूराम बाना अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 व अप्रार्थी संख्या 5 के पति मोतीराम के नाम से संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 713 कुल तादादी 18.6900 हैक्टेयर वाकेरोही बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं पुराना खेत खसरा नम्बर 713 तादादी 18.6900 हैक्टेयर का खाता विभाजन न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत अनुवानी वाद गणेशसिंह बनाम सिमृतसिंह आदि वाद संख्या 704/2010 के निर्णय दिनांक 11.12. 2010 के आधार पर किया गया। मुताबिक न्यायालय निर्णय वादगत खसरा नम्बर 713 मीन की उतरी–पूर्वी 9.3500 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी इन्तकाल सं. 146 के अनुसार प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अमल दरामद करने पर वर्तमान खसरा नम्बर 956/713 तादादी 9.3500 हैक्टेयर वाकेरोही बापेऊ की खातेदारी भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज हुई है तथा इसी खसरा नम्बर 713 मिन की शेष 9.3400 हैक्टेयर भूमि पश्चिमी तरफ के हिस्सो की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता/ससुर गणेशसिंह के नाम दर्ज हुई हैं। गणेशसिंह की मृत्यु के उपरांत उनके हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 955/713 तादादी 9.3400 हैक्टेयर रोही बापेऊ की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं । प्रार्थी अनपढ़ व्यक्ति है, जिसने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 956/713 रोही बापेऊ पर पिछले महिने ऋण आदि लेने के लिए राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, नक्शा की प्रमाणित नकल प्राप्त की तो प्रार्थी को प्रथम बार यह जानकारी हुई कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 955/713 के राजस्व नक्शा में मुताबिक वाद निर्णय दिनांक 11.12. 2010 के राजस्व नक्शा में खाता विभाजन तरमीम नही किया गया, बल्कि मूल साबिका खसरा नम्बर 713 के खाता विभाजन करते वक्त प्रार्थी के हिस्से की भूमि उतरी–पूर्वी तरफ तरमीम नही कर दक्षिण से पश्चिमी हिस्से में तरमीम कर दी गई हैं। जबकि प्रार्थी से ही मूल खसरा नम्बर 713 के उत्तर–पूर्वी हिस्से पर काबिज चला आ रहा है व वाद संख्या 704/2010 के निर्णय अनुसार प्रार्थी के हिस्से में यही भूमि दी गई हैं व उसी के मुताबिक इन्तकाल संख्या 146 दर्ज किया गया हैं । यह है कि प्रार्थी ने समस्त [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:36:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

रिकार्ड की नकले दिनांक 15.04.2025 व 05.05.2025 को प्राप्त कर अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि मेरी खातेदारी भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 956/713 की तरमीम राजस्व नक्शा में न्यायालय निर्णय अनुसार न होकर गलत रूप से की गई हैं। जिसे मुताबिक निर्णय व मौका कब्जानुसार सहमति से दुरूस्त करवा ले, जिससे अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 का राजस्व नक्शा अक्स दुरूस्त हो जावे । तब अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 ने कहा कि हम कहीं नही जायेगें तुम्हे जो करना है वो करो, तुम्हारा जब नक्शा सही होगा तो हमारा भी रिकार्ड नक्शा दरूस्त हो जायेगा। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 को न्यायालय निर्णय व वर्तमान रिकार्ड प्रस्तुत कर अपना रिकार्ड दुरूस्त करने को कहा तब समस्त अप्रार्थीगण ने दिनांक 13.05.2025 को रिकार्ड दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया । प्रार्थी की खातेदारी के राजस्व अक्स की तरमीम राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण न्यायालय निर्णय अनुसार नही हुई हैं। जिसे प्रार्थी करवाने का कानूनन अधिकार रखता हैं । यही प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का आधार हैं । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हर प्रकार से अन्दर मिंयाद व पूर्ण न्यायशुल्क पर है व प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 956/713 तादादी 9.3500 हैक्टेयर वाकेरोही बापेऊ के राजस्व एक्स में दुरूस्ती करते हुये वर्तमान खसरा नम्बर 955/713 तादादी 9.3400 हैक्टेयर की जगह 956/713 तादादी 9.3500 हैक्टेयर व राजस्व नक्शे में दर्शित का आदेश जारी कर आदेश की पालना अप्रार्थी संख्या 6 से करवायी जावें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सी.पी.सी पेश किया गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सी.पी.सी पर अनापत्ति जाहिर की गई। प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 का नाम रिकॉर्ड अनुसार चन्दाराम व अप्रार्थी संख्या 2 नाम रिकॉर्ड अनुसार मुखराम किये जाने के आदेश दिये गये। स्टेट की ओर से राजपैरोकार द्वारा जवाब प्रार्थना मय मौका स्थिति का नजरी नक्शा पेश किया गया। उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया कि हम पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की प्ररेणा से राजीनामा हो गया है मौका पर हम पक्षकारान अपने अपने हिस्सा पांति भूमि पर काबिज है तथा कब्जा काश्त है। पटवारी हल्का की मौका स्थिति के नजरी नक्शानुसार ही मौका पर सीमाएं कायम है उसी अनुसार राजस्व एक्स में संशोधन किये जाने के लिए हम सहमत है। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को जरिये राजीनामा प्रार्थना पत्र एवं स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:36:34 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

खेत खसरा नंबर 956/713 तादादी 9.3500 हैक्टेयर एवं खेत खसरा नम्बर 955/713 वाकेरोही बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व एक्स को पटवारी हल्का की

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

मौका स्थिति के नजरी नक्शानुसार संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पटवारी हल्का की मौका स्थिति का नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 17/02/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:36:34 IST
Reason: SelfAttested